

# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कूलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।



पत्रांक: पृ.वि.पि./सम्बद्धता/02-(एक)/2022/ 42४  
दिनांक: २१-४-२२

सेवा में,

प्रबन्धक,  
शिवमंगल महिला महाविद्यालय,  
परदहां जमीन परदहां, बेलासुल्तानपुर,  
मऊ।

विषय :-महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1103(1)/सत्तर-८-2014-2(97)/2014, दिनांक-01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा रीक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तु के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपर्युक्त को समाप्त कर दिया है, के क्रम में शिवमंगल महिला महाविद्यालय, परदहां जमीन परदहां, बेलासुल्तानपुर, मऊ को स्वयंत्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान व भूगोल विषयों में सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर मा० कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2022 से स्थायी सम्बद्धता की साझे रीक्षिकता प्रदान कर दी गयी है :-

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-२-2003-16(92)/2002, दिनांक-02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
2. शासनादेश संख्या-5267 / 70-२-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या- 5125 / 70-२-2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संख्या द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. महाविद्यालय /संस्था विश्वविद्यालय के कूलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान /महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-२-2013-2(650)/2012, दिनांक-30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं भानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधिकों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
7. शासन के पत्र संख्या-12/2015/450/सत्तर-2015-18 (33)/2015, दिनांक-12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रबन्धकाओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
8. उक्त सम्बद्धता प्राप्त धनराशि, एन.डी.सी. प्रमाण-पत्र, अग्रिंशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के स्तरापन के अधीन होगी।
9. महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.H.S.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

महाविद्या  
लय  
जौनपुर  
21/4/22

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा नियंत्रणालय उम्प० इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, याराणी।
4. अधीक्षक, रीक्षिक दीप्ति विभाग की बैठक में कार्यपरिवद के संज्ञानार्थ रखे जाने हेतु।
5. परीक्षा नियंत्रक/अधिगोपनीय/परीक्षा विभाग।
6. टेक्निकल जैल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कूलसचिव